<u>न्यायालय :- सदस्य, द्वि०अति०मो० दुर्घ०दावा अधि० बालाघाट (म.प्र.)</u> श्रृं<u>खाला न्यायालय बैहर</u>

(पीठासीन अधिकारी– माखनलाल झोड़)

मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक-26 / 2017

संस्थित दिनांक -26.06.2016

Filling No.MACC/28/2017

CNR No.MP 5005000072/2017

- 1— सुनतीबाई उम्र 28 वर्ष विधवा अमरलाल टेकाम
- 2- महेश आयु 10 वर्ष पिता अमरलाल टेकाम
- 3— उमेश कुमार 03 वर्ष पिता अमरलाल टेकाम
- 4— कु. गितीका आयु 06 माह पिता अमरलाल टेकाम आवेदक कमांक 2 से 4 नाबालिग वली मॉ श्रीमती सुनतीबाई पति स्व. अमरलाल टेकाम
- 5— रमताबाई आयु 50 वर्ष पित घसूसिंह सभी निवासी—ग्राम हल्काराटीला रेहंगी थाना मलाजखण्ड तहसील बैहर जिला बालाघाट ————— **आवेदकगण।**

/ / <u>विरूद</u>्ध / / –

- 1— धरमदास वाधवा आयु 35 वर्ष पिता कृपालदास वाधवा
 निवासी—ग्राम वार्ड नंबर 5 मोहगांव तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 2— शाखा प्रबंधक, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिट्ड कार्यालय ई—8 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा जयपुर राजस्थान—302022 इंडिया — — — — — — — — **अनावेदकगण।**

श्री डी0आर0 बिसेन अधिवक्ता वास्ते आवेदकदकगण। अनावेदक क्रमांक 1 अनुपस्थित।

श्री टी०एल० सिंह अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कंपनी

— / / अधिनिर्णय / / — (आज दिनांक 11 नवम्बर 2017 को पारित)

- 1. आवेदकगण ने यह मोटर दुर्घटना दावा आवेदन पत्र धारा 163 (क) मोटरयान अधिनियम के अधीन अनावेदक क्रमाक 1 धरमदास वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5481 के स्वामित्व के वाहन का मृतक अमरलाल चालन कर रहा था। उक्त वाहन में यांत्रिकी खराबी आने से वाहन पेड़ टकरा गया, के परिणामस्वरूप अमरलाल की मृत्यु हो जाने से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु यह दावा पेश किया है।
- 2. आवेदकगण के आवेदन का सार यह है कि मृतक अमरलाल ग्राम हल्कटोला का डम्फर कमांक एम0.पी. 50 एच. 5481 को विधिवत लाईसेंसधारी चालक था, का चालन अना.क. 1 के निर्देश पर करता था। घटना दिनांक 18. 06.2016 को उक्त वाहन में एकाएक यांत्रिकी खराबी आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया जिसके कारण अमरलाल की घटनास्थल पर असमय मृत्यु हो गई।
- 3. मृतक अमरलाल 32 वर्षीय स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क का व्यक्ति होकर वाहन चालक का कार्य कर प्रतिमाह 3300/—रू. आय अर्जित करता था जिससे आवेदकगण का भरणपोषण, शिक्षा—दीक्षा होती थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट होने पर थाना भरवेली में अपराध क्रमांक 124/2016 धारा 279, 304 ए भा.द.वि. के अधीन दर्ज है। मृतक अमरलाल 32 वर्षीय व्यक्ति था। भविष्य की आय में होने वाली क्षति 19,00,000/—रूपए, शारीरिक मानसिक क्लेश हेतु आवेदकगण को हुई क्षति के मद में 1,00,000/—, अंतिम संस्कार में हुआ व्यय, के मद में 1,00,000/—, एम्बुलेंस से आने जाने का व्यय 10,000/—, आवेदिका क्मांक 1 को दांपत्य सुख, आवेदक क्मांक 2 से 4 को पितृ सुख एवं आवेदिका क्मांक 5 को पुत्र सुख से वंचित होने के मद में 2,50,000/—कुल 27,60,000/—रू. की क्षतिपूर्ति हेतु यह दावा निर्धारित न्यायशुल्क चस्पा कर पेश किया गया है।
- 4. अनावेदक क्रमांक 1 ने उत्तर पेश कर आवेदन पत्र के संपर्ण अभिकथनों को कंडिकावार अस्वीकार किया है। आवेदक की 3300/—रू.

मासिक आय होना इंकार किया है, मृतक की उम्र 32 वर्ष होना इंकार किया है, मृतक की दुर्घटना वाहन कमांक एम.पी. 50 एच. 5481 से होना इंकार किया है, वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5481 अनाक. 2 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय जयपुर में पॉलिसी क्रमांक 10003/31/16/633139 दिनांक 08.03. 2016 से 07.03.2017 तक बीमाकृत था, आवेदकगण 27,60,000 / -प्राप्त करने के अधिकारी होना इंकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि मृतक अमरलाल वाहन को धीमी गति से सावधानीपूर्वक चला रहा था एकाएक जानवर आ जाने के कारण वाहन अनियिंत्रित हो गया जिससे वाहन रोड किनारे पेड़ से टकरा गया जिससे घटना कारित हुई, घटना दिनांक को वाहन बीमित होने से क्षतिपूर्ति राशि अदाएगी हेतु अना.क. 2 जवाबदार है, घटना दिनांक को मृतक के पास ड्रायविंग लाईसेंस कमांक एम.पी. एम.पी. 50 आर 2015-0038658 दिनांक 06.04.2015 से 01.04.2018 तक हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाईसेंस जारी किया गया था, दिनांक 21.05.2016 से 20.06.2021 तक के लिए जिला परिहवन कार्यालय बालाघाट से परिमट जारी किया गया है, फिटनेस क्रमांक 0686836 दिनांक 13.05.2016 से 12.05.2018 तक के लिए जारी किया गया है, क्षतिपूर्ति राशि अदाएगी हेत् अना.क. 1 के विरूद्ध दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

5. अनावेदक कमांक 2 बीमा कंपनी ने उत्तर पेश कर आवेदन पत्र में लेख अभिकथनों का उत्तर कंडिकावार देते हुए इंकार करते हुए मृतक 32 वर्षीय होकर चालक कार्य कर 3300/—रू. आय अर्जित करता था इंकार किया है, आवेदकगण 27,60,000/—रूपए क्षतिपूर्ति राशि पाने के पात्र होना इंकार किया है, घटना दिनांक को वाहन कमांक एम.पी. 50 एच. \$481 में यांत्रिकी खराबी आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया, पेड़ से टकरा गया, जिसके कारण अमरलाल की घटनास्थल पर मृत्यु होना इंकार किया है, दुर्घटना की रिपोर्ट थाना भरवेली में दर्ज होना इंकार किया है, मृतक वाहन को अना.क. 1 की अनुमित से चला रहा था अस्वीकार किया है, मृतक के पास ड्रायविंग लाईसेंस कमांक एम.पी. 50 आर 2015—0038658 दिनांक 06.04.2015 से 01.04. 2018 तक हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जारी होना इंकार किया है, उक्त वाहन अना.क. 1 के स्वामित्व का होना इंकार किया है, फिटनेस कमांक 0686836 दिनांक 13.05.16 से 12.05.16 तक जारी होना इंकार किया है, उक्त वाहन घटना दिनांक को अना.क. 2 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी जयपुर

पॉलिसी कमांक 10003/31/16/633139 दिनांक 08.03.2016 से 07.03.2017 तक बीमाकृत होना इंकार किया है।

6. विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि आवेदकगण द्वारा दर्शाए गए सारवान तथ्य गलत है, धारा 163 मोटरयान अधिनियम 1988 में किए गए कथन विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र पेश किया गया जो प्रचलन योग्य नहीं है, उक्त दावा अनावेदक कमांक 2 बीमा कंपनी के विरुद्ध निरस्त किए जाने योग्य है। आवेदकगण का दावा धारा 163 (क) में पोषनीय न होने से निरस्त किए जाने योग्य है, अना.क. 2 बीमा कंपनी धारा 134, 147, 149 मो.या.अधि. के तहत बचाव सुरक्षित रखती है, अना.क. 2 के विरुद्ध दावा सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

दावे के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं।

| 341 | | |
|-----|--|-----------------|
| क. | वादप्रश्न | <u>निष्कर्ष</u> |
| 1. | क्या दिनांक 18.06.2016 को 23:00 बजे ग्राम धनसुआ अंतर्गत थाना भरवेली जिला बालाघाट लोकमार्ग पर मजार के सामने वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5481 में यांत्रिकी त्रुटि आ जाने से उक्त वाहन के चालक अमरलाल टेकाम की दुर्घटना में मृत्यु हुई ? | |
| 2. | क्या वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5481 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 1 होकर अनावेदक क्रमांक 2 के पास दुर्घटना दिनांक को वाहन बीमित था ? | प्रमाणित |
| 3. | क्या मृतक दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन को बीमा शर्तो का उल्लंघन कर चला रहा था ? | प्रमाणित नहीं। |
| 4. | क्या आवेदकगण मृतक पर आश्रित होने से वे अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक—पृथक 27,60,000 / —रूपया और उस पर 12 प्रतिशत | |

| | A PARA | |
|----|--|---|
| | वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है | |
| 5. | सहायता एवं व्यय ? | वाद स्वीकृत। कंडिका 18 ABCDE के अनुसार देय। |

विचारणीय प्रश्न क्र.-1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्षः-

- 7. सुनतीबाई (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के प्रद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि मृतक दुर्घटना दिनांक को विधिवत लाईसेंसधारी चालक था। अना.क. 1 के निर्देश पर वाहन चालक का कार्य करता था। घटना दिनांक 18. 06.2016 को डम्फर वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5481 को लेकर वह जा रहा था। यांत्रिकी खराबी आ जाने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया जिससे अमरलाल की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि दुर्घटना के संबंध में थाना भरवेली द्वारा मर्ग कायम किया गया। शेष मुख्य कथन के पद क्रमांक 11 में प्र.ए. 1 लगायत प्र.ए. 8 के दस्तावेज प्रदर्श अंकित कराएं गए है और फिटनेस, अनुज्ञा पत्र, बीमा पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लाईसेंस की फोटोकापी पेश की है।
- 8. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्को को विचार में लिया गया। प्र.ए. 1 थाना भरवेली द्वारा अपराध कायम कर प्रथम सूचना क्रमांक 124/2016 धारा 279, 304—ए भा.द.वि. के अधीन कायमी है। जिसमें सरल क्रमांक 7 पर अभियुक्त के विवरण के रूप में डम्फर क्रमांक एम.पी. 50 एच. 5481 का चालक अमरलाल टेकाम पिता घसूलाल टेकाम लेख है जो इस मामले में मृतक है। यह प्रथम सूचना थाना मलाजखण्ड की देहाती नालसी 0/2016 के आधार पर कायम है। प्र.ए. 2 देहाती नालसी की सत्यापित प्रति है, प्र.ए. 3 मर्ग इंटीमेशन की सत्यापित प्रति है, प्र.ए. 4 नक्शा पंचायतनामा की सत्यापित प्रति है, प्र.ए. 5 घटनास्थल के नक्शे की प्रति है, प्र.ए. 6 क्षतिग्रस्त वाहन को जप्त किए जाने की के जप्तीपत्र की प्रति है, प्र.ए. 7 अंतिम प्रतिवेदन है, प्र.ए. 8 शव परीक्षण रिपोर्ट है। यांत्रिकी त्रुटि के संबंध में उभयपक्ष द्वारा वाहन के यांत्रिकी परीक्षण की रिपोर्ट पेश नहीं की है किंतु दिनांक 18.06.2016 को रात्रि 11 बजे मजार के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर वाहन कमांकएम.पी. 50 एच. 5481 पेड़ से टकरा जाने

से चालक की मृत्यु होना प्रमाणित पाया जाता है जिक्तानुसार विचारणीय प्रश्न कुमांक 1 निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र.—2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:—

- सुनतीबाई (आ.सा.1) ने मुख्य परीक्षण के पद कमांक 11 के अंत में कथन किया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र, अनुज्ञा पत्र, बीमा पॉलिसी, वाहन रजिस्ट्रेशन, मृतक के ड्रायविंग लाईसेंस की फोटोकापी पेश करना कथन किया है, का अवलोकन किया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट दिनांक 03.05.2016 को जारी होकर दिनांक 12.05.2018 तक वैध है। माल अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति के आधार पर उक्त वाहन आदेश दिनांक 20.05.2016 से 20.06.2021 तक की अवधि के लिए है। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सर्टिफिकेट कम पॉलिसी शेड्यूल के अनुसार पॉलिसी नंबर 10003/31/16/833139 पर श्री धरमदास वाधवा पिता कृपाल दास वाधवा लक्ष्मी नगर रायपुर छ०ग० के नाम से नया वाहन जिसका चेचिस नंबर एम.ए.टी. ४४८०६०जी.ए.बी. ०१८७६ इंजन नंबर ६१ वी. 84284452 से बीमित है। बीमा अवधि दिनांक 08.03.2016 से 07.03.17 की मध्य रात्रि तक है। इस प्रकार दिनांक 18.06.2016 को दुर्घटना के समय वाहन बीमित है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से इंजन नंबर, चेचिस नंबर मिलान किए जाने पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन का ही बीमा होना पाया जाता है। अनावेदक कमांक 2 की ओर से उपस्थित साक्षी पवन प्रजापति ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 2 में वाहन को बीमित होना लेख किया है।
- मृतक का ड्रायविंग लाईसेंस दिनांक 06.04.2015 को आर.टी.ओ. कार्यालय बालाघाट से क्रमांक एम.पी. 50 आर-2015-0038658 पर जारी हुआ है जिसकी वैधता अवधि ट्रांसपोर्ट व्हीकल हेतु दिनांक 01.04.2018 तक है। हैव्ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल हेतु लाईसेंस दिनांक 23.03.2009 को जारी किया गया है और लाईट मोटर व्हीकल का लाईसेंस दिनांक 06.09.2001 को जारी किया गया था। उपलब्ध साक्ष्य से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित है।

विचारणीय प्रश्न क्र.-3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 2 पर है। अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से साक्षी पवन प्रजापति ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि वह श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विधि अधिकारी के पद पर पदस्थ है। इस साक्षी के संपूर्ण मुख्य कथन में बीमा शर्त का उल्लंघन कर वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं है इसलिए विचारणीय प्रश्न कमांक 3 प्रमाणित नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्र.-4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

12. सुनतीबाई (आ.सा.1) ने मुख्य कथन के पद कमांक 10 में साक्ष्य दी है कि उसका पित 3300 / —रू. प्रतिमाह आय अर्जित करता था, परिवार का पालन पोषण करता था। भविष्य में होनेवाली आय की हानि 19,00,000 / —, शारीरिक मानसिक क्लेश के मद में 1,00,000 / —, अंतिम संस्कार के मद में 1,00,000 / —, एम्बुलेंस से शव लाने के मद में 10,000 / —, दांपत्य सुख से वंचित होने के मद में 1,00,000 / — तथा आवेदिका क्रमांक 2 से 4 को पिता सुख से वंचित होने एवं आवेदिका क्रमांक 5 को पुत्र सुख से वंचित होने के मद में 1,50,000 / —रूपए कुल 27,60,000 / —रू. दिलाए जाने का कथन है।

13. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 12 में उसका पित 6—7 हजार रूपया मासिक कमाते थे इंकार किया है। स्वतः कहा है कि वह 3000 / —रूपया महीना देते थे। प्यारेलाल टेकाम आ.सा. 2 की साक्ष्य में इस संबंध में कथन नहीं है। यह मामला धारा 163— मोटरयान अधिनियम के अधीन पेश किए जाने से अनुसूची 2 में दिए गए चार्ट के अनुसार मृतक की वार्षिक आय 36000 / —से अधिक और 40,000 / —से कम है इसलिए विकटिम की आयु जो मौखिक साक्ष्य में 32 वर्ष बताई गई है और देहाती नालसी, मर्ग इंटीमेशन, नक्शा पंचायतनामा, शव परीक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन में 35 वर्ष आयु लेख है इसलिए मृतक की मृत्यु से हुई क्षित के गुणांक हेतु अनुसूची में जो 30 से 35 वर्ष की आयु है, के लिए 17 का गुणांक अनुसूची में निर्धारित है।

14. मृतक चालक था इसलिए वह स्वयं पर अपनी आय का 1/3 भाग व्यय करता था। मृतक की आय 3300/—रूपए मासिक थी, अनावेदक कमांक 1 ने इंकार किया है, आवेदिका ने आय प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है इसलिए 3300/—रूपए मासिक आय होना प्रमाणित नहीं है किंतु सुनतीबाई आ. सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 13 के अंत में अधिक आय इंकार कर उसे 3000/—रूपए प्रतिमाह मृतक देता था कथन किया है इसलिए मृतक की आय प्रमाणित न होने के पश्चात् मृतक अर्जित होने वाली आय से अपने पर राशि खर्च करने के पश्चात् आवेदिका कमांक 1 को 3000/—रूपए देता था।

सुनतीबाई आ.सा. 1 को परिवार के भरणपोषण व अन्य आवश्यकता हेतु मृतक 3000 / —रूपए देता था इसलिए 3000 X 12 = 36000/- वार्षिक थी।

- 15. धारा 163-ए मोटरयान अधिनियम के अधीन दिए गए अनुसूची 2 के चार्ट के अनुसार 5,76,000/-रूपए से 6,40,000/-रूपए तक क्षतिपूर्ति राशि मृत्यु के मामले में निर्धारित की गई है जो 36000/- में 17 का गुणांक करने पर 36000 X 17 = 6,12,000/- भविष्य की आय की क्षति निर्धारित की जाती है जो 6,40,000/-रूपए से कम है।
- 16- अनुसूची क्रमांक 2 के सरल क्रमांक 3 के अनुसार अंतिम संस्कार हेतु 2,000/—रूपए, सहचर्य में हानि के मद में 5,000/—रूपए, संपत्ति की हानि के मद में 2500/—, शव को वाहन से अपने गृह ग्राम तक लाने के व्यय के मद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2017 के आलोक में 10,000/—रूपए, आवेदिका क्रमांक 5 माता को पुत्र सुख से वंचित होने के मद में 1000/— कुल 612000+2000+5000+2500+10000+1000 = 6,32,500/- रूपए निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार वादप्रश्न कमांक 4 निराकृत किया जाता है।
- 17- आवेदक की ओर से 2013 सी.जे. (एस.सी.) 835

 युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनिल
 कुमार एवं अन्य पेश किया गया। अनावेदक कमांक 2 की ओर से
 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रेमलता शुक्ला एवं
 अन्य 2007 ए.सी.जे. 1928 तथा महिपाल सिंह भाटी विरूद्ध
 निसार मोहम्मद एवं अन्य आई.एल.आर. 2014 एम.पी. 2125 पेश
 किये गये, का अध्ययन कर विचार में लिया गया।
- 18- उक्त दुर्घटना दावा प्रकरण में निर्मित विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 4 का निराकरण प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर किया गया है। विचारणीय प्रश्न कमांक 5 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्रावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है:—
 - (A) आवेदकगण को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल 6,12,000/- रूपए में से आवेदिका क्रमांक 1 मृतक की पत्नि

सुनतीबाई को (122400+5000+5000+2500+10000)141900/-{एक लाख इकतालिस हजार नौ सौ} अनावेदक कमांक 2 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने के अधिकारी है।

आवेदिका क्रमांक 1 सुनतीबाई को प्राप्त होने वाली राशि 141900/-Rs. {एक लाख इकतालिस हजार नौ सौ} में से 100000/-रूपए 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे शेष राशि 41900/-रूपए उसके बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

- {B} आवेदक क्रमांक 2 महेश को प्राप्त होने वाली राशि 122400/- रूपए अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है। आवेदक क्रमांक 2 अवयस्क को प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि 122400/- रूपए (एक लाख बाईस हजार चार सौ रूपए) मय ब्याज के उसके वयस्क होने तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से साविध जमा रसीद बनाई जावे।
- {C} आवेदक क्रमांक 3 उमेश को प्राप्त होने वाली राशि 122400/- रूपए अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है। आवेदक क्रमांक 2 अवयस्क को प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि 122400/- रूपए (एक लाख बाईस हजार चार सौ रूपए) मय ब्याज के उसके वयस्क होने तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से साविध जमा रसीद बनाई जावे।
- [D] आवेदक कमांक 4 कुमारी गीतिका को प्राप्त होने वाली राशि 122400/- रूपए अनावेदक कमांक 2 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है। आवेदक कमांक 2 अवयस्क को प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि 122400/- रूपए (एक लाख बाईस हजार चार सौ रूपए) मय ब्याज के उसके वयस्क होने तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से साविध जमा रसीद बनाई जावे।

//10 //

आवेदिका कमांक 5 माता रमताबाई को प्राप्त होने वाली राशि $\{\mathbf{E}\}$ (122400+1000)=123400/- रूपए अनावेदक कमांक 2 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है। आवेदिका क्रमांक 5 को प्राप्त होने वाली राशि 123400/- रूपए में से 1,20,000/- रूपए (एक लाख बीस हजार रूपए} 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे शेष राशि 3400 / – रूपए मय ब्याज के उसके बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

\chi आवेदकगण अपनी—अपनी सावधि जमा राशि का त्रै—मासिक ब्याज संबंधित बैंक से प्राप्त कर अपना जीवन निर्वाह और उन्नति हेतु व्यय करेगें। आवेदक क्रमांक 2 लगायत 4 का ब्याज आवेदिका क्रमांक 1 सुनतीबाई के खाते में जमा किया जावे 🦽

- (F) तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।
- {G} अधिवक्ता शुल्क 1100∕-रूपए देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही /-

(माखनलाल झोड़)

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर HINES STROOT ES ARRESTO !

मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया।

द्वि0अति0मो0दु0दा0अधि0बालाघाट भ<mark>्रृंखला न्</mark>यायालय बैहर

| क | विवरण | आवेदक | अना. क. | अना.क् |
|----|----------------------|---------|---------|---------|
| | CE PR | | 1 | 2 |
| 1. | वाद पत्र पर शुल्क | 15.00 | - | 8 |
| 2. | आवेदन पत्र पर शुल्क | - | 20.00 | _ |
| 3. | वकालतनामा पर शुल्क | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4. | दस्तावेज पर शुल्क | - 2 | Sori | - |
| 5. | अधिवक्ता फीस | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 6. | आदेशिका शुल्क व अन्य | B | - | - |
| | योग – 🧖 | 1125.00 | 1130.00 | 1110.00 |

सही / – **(माखनलाल झोड़)** सदस्य ते0मो^–

्रादस्य ्रा0मो0दु0दा0अधि0बाल श्रृंखला न्यायालय बैहर द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि०बालाघाट